12.11.2022 जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ के विविध आदेश क्र० 116/एक–11–1/2005 रायगढ़ दिनांक 10.11.2022 के अनुपालन में मुझे अर्थात् दीप्ति बरवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खरसिया को विशेष बैठक हेतु आज दिनांक 12.11.2022 को आयोजित होने वाले नैशनल लोक अदालत में कार्यवाही किए जाने हेतु अधिकृत किया गया है ।

राज्य की ओर से ए.डी.पी.ओ. ।

आरोपीगण उपस्थित ।

प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है ।

प्रकरण के प्रार्थी संतोष रात्रे द्वारा प्रकरण में आरोपीगण से बिना किसी डर, दबाव व प्रलोभन के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा किए जाने हेतु निवेदन किया गया । आरोपीगण के विरुद्ध अधिरोपित धाराएं शमनीय योग्य होने से आरोपीगण **महेश राम बरेठ व बजरंग यादव** को **धारा 294, 506, 323, 34 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक नग ईट लाल रंग का किनारा टूटा हुआ को मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे ।

प्रकरण समाप्त ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर, प्रकरण सुव्यवस्थित कर नियत समयावधि में जिला अभिलेखागार रायगढ़ भेजी जावे ।

सही/–

(दीप्ति बरवा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
खरसिया, जिला रायगढ़ (छ०ग०)